

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०४/२०१८-१७९

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वै०दा०नि०को० (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-०२-१२-२०१९

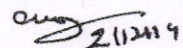
विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में जिला पदाधिकारियों, समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	प्रशिक्षण अवधि	जिला पदा०/समाहर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने की तिथि
1	सुश्री गीता, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	05.09.2019 से 04.10.2019 तक	11.10.2019
2	श्री प्रतीक राज, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	05.09.2019 से 01.10.2019 तक	05.10.2019

विश्वासभाजन,

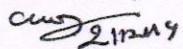


अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९ (को०प्र०)-०४/२०१८-१७९ पटना, दिनांक:-०२-१२-२०१९

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनाार्थ प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।



०२/१२/१९